

बिहार सरकार
सामान्य प्रशासन विभाग

।। अधिसूचना ।।

पटना-15, दिनांक- 31.08.18

संख्या-12/प0 (मू0फ़ो0)-405/2014-सा0प्र0-11803 / बिहार प्रशासनिक सेवा के मूल कोटि के विन्यासित पदाधिकारियों को स्थानान्तरित करते हुए उनके नाम के समक्ष कॉलम 4 में अंकित पद पर अगले आदेश तक पदस्थापित किया जाता है:-

क्रम सं0	पदाधिकारी का नाम, कोटि क्रमांक एवं गृह जिला	वर्तमान पदस्थापन	पदस्थापन का पद एवं स्थान का नाम
1	2	3	4
1	श्री हरेन्द्र राम, 1282/11, भोजपुर	सचिव (अपने वेतनमान में), राज्य अनुसूचित जनजाति आयोग, बिहार, पटना ।	अनुमंडल पदाधिकारी, डुमरौँव, बक्सर ।
2	श्री ललब प्रसाद, 1189/11, रोहतास	अनुमंडल पदाधिकारी, डुमरौँव, बक्सर	सचिव (अपने वेतनमान में), राज्य अनुसूचित जनजाति आयोग, बिहार, पटना ।

2. श्री हरेन्द्र राम को दंड प्रक्रिया संहिता 1973 (एक्ट 2, 1974) की धारा-20 के अन्तर्गत संबंधित अनुमंडल क्षेत्र के लिए कार्यपालक दंडाधिकारी की शक्तियाँ प्रदत्त की जाती हैं एवं उन्हें संबंधित जिला में दंड प्रक्रिया संहिता 1973 (एक्ट 2, 1974) की धारा-144 का प्रयोग करने के लिए भी शक्तियाँ प्रदत्त की जाती हैं।

बिहार राज्यपाल के आदेश से,
13/8/18
(विमलेश कुमार झा)
सरकार के अपर सचिव

झापांक-12/प0(मू0फ़ो0)-405/14-सा0प्र0-11803 /पटना-15, दिनांक- 31.08.18
प्रतिलिपि-प्रभारी पदाधिकारी, इ-गजट कोषांग, वित्त विभाग, बिहार, पटना को बिहार राजपत्र में प्रकाशनाथ (आई0 टी0 मैनेजर, सामान्य प्रशासन विभाग, पटना के माध्यम से)/महालेखाकार (ले0 एवं ए0),बिहार, पटना/प्रभारी पदाधिकारी, वित्त (वैयक्तिक दावा निर्धारण कोषांग) विभाग, बिहार,पटना/प्रधान सचिव, मुख्यमंत्री सचिवालय, बिहार, पटना/आप्त सचिव, माननीय उप मुख्यमंत्री, बिहार, पटना/अध्यक्ष, राज्य अनुसूचित जनजाति आयोग, बिहार, पटना/संबंधित प्रमंडलीय आयुक्त/संबंधित जिला पदाधिकारी/मुख्य सचिव के प्रधान आप्त सचिव, बिहार, पटना/प्रधान सचिव के प्रधान आप्त सचिव, सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना/प्रबंधक, आई0टी0, सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना को विभागीय वेवसाइड पर अपलोड करने हेतु/संबंधित पदाधिकारी/प्रशाखा 2, 8 एवं चारित्री कोषांग, सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना को सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

13/8/18
सरकार के अपर सचिव